

क्रमांक: रास्कूशिप/जय/व्या.शि./2018/ 7374

दिनांक: 9 / 10 / 2018

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक
समग्र शिक्षा अभियान,
समस्त जिले।

विषय:- व्यावसायिक शिक्षा योजनांतर्गत माध्यमिक व्यावसायिक (लेवल-II) परीक्षा-2019 तथा उच्च माध्यमिक व्यावसायिक (लेवल-IV) परीक्षा-2019, बोर्ड परीक्षा आवेदन पत्र में पूरक परीक्षा परिणाम के आधार पर आवश्यक संशोधन बाबत।

संदर्भ:- पत्रांक रास्कूशिप/जय/व्या.शि./2018/स्पे.-1 दिनांक 14/08/2018

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि माध्यमिक व्यावसायिक (लेवल-II) परीक्षा-2019 तथा उच्च माध्यमिक व्यावसायिक (लेवल-IV) परीक्षा-2019 के बोर्ड परीक्षा आवेदन पत्र भरे गये थे। परिषद् के पत्रानुसार लेवल-01 (कक्षा-09) के विद्यार्थी तथा लेवल-03 (कक्षा-11) के विद्यार्थी जो प्रायोगिक परीक्षा-2018 में पूरक थे, इनके द्वारा भी माध्यमिक (व्यावसायिक) लेवल-02 बोर्ड परीक्षा-2019 तथा उच्च माध्यमिक (व्यावसायिक) लेवल-04 बोर्ड परीक्षा-2019 के आवेदन पत्र भरे गये थे।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा पूरक परीक्षा-2018 का परीक्षा परिणाम जारी किया जा चुका है। यदि विद्यार्थी लेवल-1 (कक्षा-09) अथवा लेवल-03 (कक्षा-11) के परिणाम के आधार पर बोर्ड आवेदन पत्र में संशोधन जैसे व्यावसायिक शिक्षा के स्थान पर अकादमिक परीक्षा के लिये आवेदन पत्र अथवा अन्य कोई आवश्यक संशोधन किया जाना है तो पूर्व में भरे गये बोर्ड परीक्षा-2019 के आवेदन पत्र के प्रिंट पर आवश्यक संशोधन कर प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर मय मोहर के तैयार कर बोर्ड कार्यालय में श्री मुकेश विजय, प्रोग्रामर (मो.नं:- 9413227939) को इस प्रिंट की हार्ड कॉपी प्रस्तुत कर आवश्यक संशोधन दिनांक 16.10.2018 तक करवाया जा सकता है। इस बाबत अधीनस्थ समस्त विद्यालयों को सूचित कर पत्र की पालना सुनिश्चित करावें।

(रामनिवास जाट)

अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, रास्कूशिप, जयपुर।
02. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक, रास्कूशिप, जयपुर।
03. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
04. उपनिदेशक, शाला दर्पण को पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
05. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समस्त को पालनार्थ।
06. समस्त संस्थाप्रधान, व्यावसायिक शिक्षा संचालित विद्यालय।
07. रक्षित पत्रावली।


उपायुक्त